102

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R-3603-III/14

गुरूदीन शर्मा पिता स्व0 भूरेलाल शर्मा आयु 54 वर्ष निवासी ग्राम जमुआ, पंचायत गोरतरा, पो0 शहडोल, थाना–सोहागपुर, तहसील–सोहागपुर, जिला–शहडोल (म0प्र0) ––– निगराकार

बनाम

1. कस्तूरी बाई पति स्व0 श्री रामकुमार गोड़ निवासी ग्राम पोंगरी, तहसील–सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल (म0प्र0)
2. म0प्र0शासन

––– गैर निगराकार

श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मंडल सोहागपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के द्वारा सीमांकन प्रकरण 87/अ/12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 23.06.14 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0राजस्व भू संहिता

क्रमांक 3446
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 27-10-14 प्राप्त

मान्यवर,

उपरोक्त निगराकार यह निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है कि :–

मामले का तथ्य

उपरोक्त गैर निगराकार कस्तूरी बाई ने भूमि खसरा नं0 276/2 रकवा 0.202 हे0 स्थित ग्राम जमुना प0ह0 गोरतरा 71 ज0नं0 332 रा0नि0मं0 क्रमांक–1 तहसील सोहागपुर, जिला–शहडोल म0प्र0 का सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया था। चूंकि उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर निगराकार पुस्तैनी रूप से काबिज दखील चला आ रहा है, इसलिए निगराकार ने उक्त सीमांकन की पुष्टि के पूर्व कई आवेदन इस आशय में प्रस्तुत किये थे, जो कि सीमांकन के पूर्व से सुना जाये लेकिन उसके बिना सुने दिनांक 23.06.14 को श्रीमान् राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन को

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3603–तीन/2014 जिला –शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
24–10–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 87/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23.06.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 25.5.14 को ग्रामजमुआ कीआराजी खसरा कमांक 276/2 रकवा 0.202 है0 का सीमांकन किया गया। सरहदी कास्तकारों को सचूना दी गई। कोई आपत्ति नहीं आने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की पुष्टि करते हुये दिनांक 23.6.14 को आदेश पारित किया गया। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक का मुख्य तर्क यह था कि उनके द्वारा सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है। बिना सूचना के सीमांकन किया गया है। लेकिन आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित खसरा की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे से यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक सरहदी कास्तकार है। आवेदक चाहे तो वह सीमांकन की शुल्क जमा कंर अपना सीमांकन कराने के लिये	

स्वतंत्र है। राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 87/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23.06.14 उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

4– परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर जिला शहडोल का प्रकरण कमांक 87/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23.06.14 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य